संख्या–1566/49–3–2017–100(11)/2017

प्रेषक,

मो0 जुनीद,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष,
सहकारी न्यायाधिकरण, उ0प्र0,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग–3

लखनऊ :: दिनांक :: 28 सितम्बर, 2017,

विषयः– सहकारी निर्वाचन आयोग को आवंटित कुल धनराशि 189.60 लाख में से वेतन मद के रू0 20.00 लाख की सम्भावित बचत को सहकारी न्यायाधिकरण, न्यायाधिकरण उ0प्र0 लखनऊ को पुनर्विनियोग के माध्यम से हस्तांतरित किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–मेमो/सह0न्या0/बजट, दिनांक 05सितम्बर, 2017 के संदर्भ में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1 /2017/ बी–1–02/ दस–2017–231/2017, दिनांक 02 जनवरी, 2017 एवं वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–8/2017बी–1– 1190/ दस–2017–231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 सहकारी न्यायाधिकरण के लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 में लेखाशीर्षक 2425–सहकारिता, 001–निदेशन तथा प्रशासन, 04–उ0प्र0 सहकारी अधिनियम के अर्न्तगत न्यायाधिकरण का गठन के अर्न्तगत रू0 60.95 लाख की बजट व्यवस्था वित्त विभाग द्वारा की गयी है, जबकि सहकारिता विभाग द्वारा रू0 140.11 लाख का बजट प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रस्तुत किया गया था। वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु उसमें वेतन एंव मंहगाई भत्ता मद में कटौती वित्तीय विभाग द्वारा कर दी गयी है जिससे सहकारी न्यायाधिकरण में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन का भुगतान सितम्बर माह से ही न होने की स्थिति है। अतः लेखाशीर्षक 2425–सहकारिता, 800–अन्य व्यय, 11–उ0प्र0 राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग के लिए 01–वेतन मद में क्रमशः रू0 110.30, रू0 79.30 लाख अर्थात कुल धनराशि 189.60 लाख सहकारी निर्वाचन आयोग को आवंटित धनराशि में से **वेतन मद में रू0 20.00 लाख की सम्भावित बचत** को लेखाशीर्षक 2425–सहकारिता, 001–निदेशन तथा प्रशासन, 04–उ0प्र0 सहकारी अधिनियम के अर्न्तगत न्यायाधिकरण का गठन के अर्न्तगत **वेतन मद में सहकारी न्यायाधिकरण उ0प्र0 लखनऊ को पुनर्विनियोग के माध्यम से अशासकीय पत्र संख्या–1566(ए)/49–3–2017–100(11)/2017, दिनांक 26 सितम्बर, 2017 के अनुसार हस्तांतरित किये जाने** की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के अधीन संलग्न विवरण के अनुसार आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिनके लिये स्वीकृति प्रदान की जा रही है तथा सक्षम प्राधिकारी/शासन की स्वीकृति के बिना उसे अन्य मदों पर कदापि व्यय नहीं किया जायेगा।

(2) इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा व्यय के स्थायी आदेशो के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, ऐसे मामलों में व्यय करने की पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(3) विभिन्न योजनाओं और सेवाओं की वित्तीय स्वीकृतियां यथा सम्भव एक बार में ही जारी की जाये, परन्तु स्वीकृत धनराशि के एकमुश्त आहरण की यथासंभव अनुमति न दी जाय।

(4) कार्यालय ज्ञाप संख्या–1/2017/बी–1–02/दस–2017–231/2016, दिनांक 02 जनवरी, 2017 तथा वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–8/ 2017बी–1–1190/दस–2017–231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में प्रदत्त निर्देशों का कड़ाई पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(5) दिनांक 02 जनवरी, 2017 तथा दिनांक 03 अगस्त, 2017 में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/सहायक लेखाधिकारी, (जैसी भी स्थिति हो) द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि निर्धारित शर्तो का विचलन हो, तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक आदि का दायित्व होगा कि वह सम्पूर्ण विवरण सहित सूचना शासन को तुरन्त दे।

(6) आवंटन के सापेक्ष व्यय विवरण की मासिक सूचनायें वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी समय से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

(7) मितव्ययिता सम्बन्धी समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

2– उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–18 के अधीन लेखाशीर्षक "2425–सहकारिता के अंतर्गत सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक :– यथोपरि।

भवदीय,

(मो0 जुनीद)
विशेष सचिव।

संख्या–1566(ए)/49–3–2017–100(11)/2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– महालेखाकार (लेखा–परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4– अध्यक्ष, सहकारी न्यायाधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ।
5– वेब मास्टर, कार्यालय आयुक्त एवं निबंधक, सहकारिता उ0प्र0 लखनऊ।
6– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन।
7– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन।
8– निजी सचिव, प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उ0प्र0 शासन।
9– सहकारिता अनुभाग–1.
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेश बहादुर)
संयुक्त सचिव।

फार्म बी.एम.–9 (भाग–1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति

(बजट मैनुअल का प्रस्तर–158 देखें)

अनुदान संख्या व नाम– 18– कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) वित्तीय वर्ष 2017–18 (धनराशि लाख रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संकमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक(15डिजिट कोड में) आयोजनेत्तर	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन–पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संकमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संकमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संकमण के पश्चात् शेष अनुदान/विनियोग(2–5)
1	2	3	4	5	6
2425–सहकारिता					
800–अन्य व्यय					
11–उ0प्र0 राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग					
01– वेतन	189.60	20.00	20.00	20.00	169.00
योग–	189.60	20.00	20.00		

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संकमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक (15डिजिट कोड में) आयोजनेत्तर	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संकमण हेतु प्रस्तावित धनराशि(9–6)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संकमण की धनराशि	संकमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान/विनियोग(8+11)
7	8	9	10	11	12
2425–सहकारिता–आयोजनेत्तर					
00 —					
001–निदेशन तथा प्रशासन					
04–उ0प्र0 सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत न्यायाधिकरण का गठन					
01–वेतन	20.00	20.00	20.00	20.00	40.00
योग:–					

(1) स्तम्भ–3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है :– अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा एल0टी0सी0 का प्रयोग न किये जाने तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे लम्बित न करने के कारण बचत संभावित।

(2) स्तम्भ–8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ–9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है :– (1) वित्त विभाग द्वारा उ0प्र0सहकारी न्यायाधिकरण हेतु 01–वेतन मद में धनराशि का कम प्राविधान किया गया है, जिसके कारण पुनर्विनियोग प्रस्तावित है।

2/

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर–150 व 151 व 155 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या–56 यू0ओ0 ई–2–689/दस–2017, दिनांक 26 सितम्बर, 2017.

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

(मो0 जुनीद)
विशेष सचिव,
सहकारिता विभाग।

(बराती लाल)
उप सचिव,
वित्त विभाग।

संख्या– 1566 (25) /49–3–2017–100(11)/2017, दिनांक : 26 सितम्बर, 2017.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0,लखनऊ।
2– अध्यक्ष, सहकारी न्यायाधिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
3– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4– निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन। (तीन प्रतियों में)

आज्ञा से,

(मो0 जुनीद)
विशेष सचिव।